I/110662/2023

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3
संख्या– I10662XXVIII(3)/2022-E file No. 23870
देहरादून : दिनांक 28 मार्च,2023

कार्यालय ज्ञाप

प्रसूता के लिए ईजा–बोई शगुन योजना के अन्तर्गत सरकारी अस्पतालों में जच्चा–बच्चा के सुरक्षित स्वास्थ्य हेतु प्रसव उपरान्त सरकारी अस्पताल में 48 घण्टे तक रूकने वाली सभी पात्र प्रसूताओं को योजना का लाभ सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से निरन्तर अनुश्रवण किये जाने हेतु राज्य स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

राज्य स्तरीय समिति :–

क्र.स.	पदनाम	समिति में पद
1	सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड, शासन ।	अध्यक्ष
2	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।	सदस्य सचिव
3	मिशन निदेशक, एन.एच.एम., उत्तराखण्ड अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	समन्वयक
4	वित्त नियन्त्रक, महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।	सदस्य
5	निदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।	सदस्य
6	नोडल अधिकारी (संयुक्त निदेशक स्तर), महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।	सदस्य
7	प्रशासनिक अधिकारी, महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।	सदस्य
8	नोडल अधिकारी, आई.ई.सी., महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।	सदस्य

जनपद स्तरीय समिति :–

क्र.स.	पदनाम	समिति में पद
1	जिला अधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य सचिव
4	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य

प्रसूता के लिए **"ईजा–बोई शगुन योजना"** प्रदेश में लागू किए जाने हेतु समिति की कार्य योजना एवं दिशा–निर्देश संलग्न परिशिष्ट–'क' एवं परिशिष्ट–'ख' में दिये उत्तरदायित्व का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

Signed by R. Rajesh Kumar
Date: 28-03-2023 16:49:09

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव।

./110662/2023.

संख्या–110662 XXVIII(3)/2023-E file No. 23870, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड।
3. वित्त नियंत्रक, महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
5. नोडल अधिकारी (संयुक्त निदेशक स्तर), महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
6. प्रशासनिक अधिकारी, महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
7. नोडल अधिकारी, आई0ई0सी0, महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by Jaswinder Kaur
Date: 28-03-2023 17:29:49
(जसविन्दर कौर)
अनु सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–..... /110662/2023 XXVIII(3)/2023-E file No. 23870, दिनांक मार्च, 2023 में उल्लिखित परिशिष्ट–क एवं ख

परिशिष्ट–क

1. **प्रसूता के लिए ईजा बोई शगुन योजना** :– सरकारी अस्पतालों में जच्चा–बच्चा के सुरक्षित स्वास्थ्य हेतु प्रसव उपरान्त सरकारी अस्पताल में 48 घण्टे तक रुकने वाली सभी पात्र प्रसूताओं को रू0 2000/– की एक किस्त प्रोत्साहन धनराशि के रूप में दी जायेगी, जो कि जननी सुरक्षा योजना में दी जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि रू0 1400/– (ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली गर्भवती महिला) एवं रू0 1000/– (शहरी क्षेत्र में रहने वाली गर्भवती महिला) से अतिरिक्त है।

2. **योजना का उद्देश्य** :–
   - **(क)** संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना एवं जच्चा–बच्चा को आवश्यक रूप से अस्पताल में उचित प्रसवोपरान्त देखभाल हेतु 48 घण्टे तक रुकने हेतु प्रोत्साहित करना।
   - **(ख)** प्रसूता को पौष्टिक आहार सुनिश्चित कराया जाना एवं शिशु को उचित स्तनपान एवं शिशु की देखभाल सुनिश्चित करना।
   - (ग) परिवार नियोजन के अन्तर्गत दो बच्चों के बीच में पर्याप्त अन्तर सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रसूता को पी0पी0आई0यू0सी0डी0 लगाया जाना एवं इस हेतु गर्भवती महिला को चिकित्सालय में प्रसव हेतु भर्ती किये जाने के दौरान आवश्यक काउंसलिंग किया जाना सुनिश्चित करना।

3. **पात्रता मापदंड** –
   - **(क)** समस्त गर्भवती महिलायें, जिनकी उम्र 19 वर्ष या उससे अधिक है।
   - **(ख)** आर0सी0एच0 पोर्टल पर पंजीकरण।
   - **(ग)** ऐसी समस्त प्रसूतायें जिनका प्रसव सरकारी चिकित्सालय में किया गया है।
   - **(घ)** प्रसव के उपरान्त कम से कम 48 घण्टे सरकारी चिकित्सालय में रहने के उपरान्त ही प्रोत्साहन धनराशि दी जायेगी।
   - **(ड.)** ऐसी प्रसूतायें जिनका सरकारी चिकित्सा इकाई में प्रसव हुआ है। यदि उनके शिशु की intrauterine death (or) still birth after 20th completed weeks of gestation हो जाती है, तो भी उक्त प्रोत्साहन धनराशि के पात्र होगें।

4. **योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश** :–
   1. **गर्भवती महिलाओं का आर0सी0एच0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन** – उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु गर्भवती महिलाओं का आर0सी0एच0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है।
   2. **प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान** – लाभार्थी को भुगतान पी0एफ0एम0एस0 वेब पोर्टल के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जाना है। कोई भी अन्य माध्यम उपयोग में नहीं लाया जायेगा।
   3. वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत ईजा–बोई शगुन योजना हेतु व्यय समयान्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार करते हुए प्रत्येक माह तथा त्रैमासिक भौतिक तथा उसका व्यय–विवरण एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्य को समय पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। यदि किसी गतिविधि हेतु तालिका में अंकित धनराशि से अधिक धनराशि की आवश्यकता है तो इसका विस्तार पूर्वक आंकलन करते हुए राज्य को 15 दिनों के भीतर प्राथमिकता के आधार पर सूचित करें।

4. धनराशि का आवंटन मात्र व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
5. ईजा बोई शगुन योजना गतिविधि के दिशा–निर्देश एक सप्ताह के भीतर सभी ब्लॉकों में निर्गत करते हुए कृत कार्यवाही से राज्य को अवगत कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. ईजा–बोई शगुन योजना गतिविधि का नियमित पर्यवेक्षण व अनुश्रवण स्वास्थ्य इकाई के प्रभारी, जनपदीय नोडल अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिलाधिकारी के माध्यम से किया जायेगा।
7. ईजा–बोई शगुन योजना के पोस्टर जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा इकाईयों, सी0एम0ओ0 ऑफिस तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर बैनर अथवा वॉल पेन्टिंग करायी जाए। यह जन–सामान्य को आसानी से दिखाई देने वाले स्थान जैसे ओपी०डी०, आई०पी०डी०, लेबर रूम आदि पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किए जायेगा।
8. यह योजना एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी तथा जन हितकारी कदम है तथा समस्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं विशेषकर आशा, आंगनबाडी एवं ए०एन०एम० को **ईजा–बोई शगुन योजना** के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओ एवं प्रोत्साहन धनराशि के बारे में सतत् रूप से ब्लॉक स्तरीय बैठकों में जानकारी प्रदान की जायेगी। उन्हें अन्तर्वैयक्तिक संवाद द्वारा समुदाय में ईजा–बोई शगुन योजना के **प्रचार–प्रसार** हेतु प्रेरित भी किया जायेगा।
9. **अभिलेखों का रख–रखाव** – योजना से सम्बन्धित समस्त भौतिक एवं वित्तीय अभिलेखों का रख–रखाव नियमानुसार किया जायेगा। व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को संरक्षित रखा जायेगा एवं नियुक्त मासिक कान्करेट ऑडिट, स्टेटच्यूरी ऑडिट, महालेखाकार की ऑडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी को निरीक्षण के दौरान उपलब्ध कराया जायेगा।

****

		के प्रचार–प्रसार हेतु कैम्प लगाया जाना। 7. गर्भवती महिलाओं को पी0पी0आई0यू0सी0डी0 हेतु प्रोत्साहित करना। 8 शत–प्रतिशत् गर्भवती महिलाओं का आर0सी0एच0 पोर्टल में पंजीकरण सुनिश्चित करवाना एवं उपकेन्द्रवार स्कोर कार्ड बनाना।
5.	लेखाकार	1. बैंकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सभी गर्भवती महिलाओं के एकाउण्ट खुलवाने में मदद करना। 2. भुगतान से पूर्व प्रसूता का आर0सी0एच0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करवाना। 3. प्रसव के दो दिवसों के भीतर डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रसूता को भुगतान किया जाना सुनिश्चित करना। 4. वित्तीय अभिलेखों का रख–रखाव एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करना।
6.	**जनपद स्तरीय कमेटी**	1. योजना का क्रियान्वयन रोडमैप एवं आवश्यक बजटीय प्राविधान किया जाना। 2. जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किया जाना। 3. योजना का ब्लाक स्तर पर त्रैमासिक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जाना। 4. योजना का लाभ डी0बी0टी0 के माध्यम से सुनिश्चित करवाया जाना। 5. चिकित्सा इकाई में योजना का आई0ई0सी0 सिटीजन चार्टर के माध्यम से प्रचार करना। 6. चिकित्सालयों में प्रसूताओं को 48 घण्टे रूकने हेतु रहने, निःशुल्क दवाईयां, निशुल्क जांच, निःशुल्क भोजन, सम्मानजनक देखभाल की व्यवस्था करवाया जाना। 7. पी0पी0आई0यू0सी0डी0 सेवाओं की उपलब्ता सुनिश्चित करवाना। 8. अस्पतालों में प्रसूताओं के रूकने हेतु आवश्यक व्यवस्थायें, जैसे कि बैड, कम्बल, हीटर/ए0सी0 साफ सुथरे पी0एन0सी0 वार्ड, प्रसाधन कक्ष, बैंड साइड लॉकर के, साथ उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जानी आवश्यक है। 9. उपरोक्त योजना के लाभार्थियों की शिकायतों की समयबद्ध उचित निराकरण करना।
	राज्य स्तरीय कमेटी	1. योजना का क्रियान्वयन रोडमैप एवं आवश्यक बजटीय प्राविधान किया जाना। 2 राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी (संयुक्त निदेशक स्तर) नामित किया जाना। 3 समय–समय पर योजना में जी0पी0एस0 के आधार पर दिशा–निर्देश जारी करना। 4. योजना का त्रैमासिक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जाना। 5. जनपदवार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के आधार पर स्कोर कार्ड बनाना। 6. योजना का लाभ डी0बी0टी0 के माध्यम से सुनिश्चित करवाया जाना। 7. जिलों के सहयोग हेतु दिशा–निर्देश तथा आई0ई0सी0 सामग्री का निर्माण करना।

		8. योजना का प्रचार–प्रसार करना। 9. चिकित्सालयों में प्रसूताओं को 48 घण्टे रुकने हेतु रहने निःशुल्क दवाईयां निशुल्क जांच, निःशुल्क भोजन, सम्मानजनक देखभाल की व्यवस्था करवाया जाना। 10.पी0पी0आई0यू0सी0डी0 सेवाओं की उपलब्ता सुनिश्चित करवाना। 11.अस्पतालों में प्रसूताओं के रूकने हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं, जैसें बैड, कम्बल, हीटर/ए0सी0 साफ सुथरे पी0एन0सी0 वार्ड, प्रसाधन कक्ष, बैड साइड लॉकर के साथ उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जानी आवश्यक है। 12.उपरोक्त योजना के लाभार्थियों की शिकायतों की समयबद्ध उचित निराकरण करना। 13.भौतिक एवं वित्तीय प्रगति हेतु निर्धारित प्रारूप पर त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित किया जाना।

****